प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, सिरोही, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......54/22...... दिनांक......19/2/22......

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– ....–................
(3) अधिनियम ....–..................... धाराये :–..............–...............
(4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....–...................................

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......406...... समय......12:30 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :–**शुक्रवार, दिनांक 18.02.2022, समय 03:05 पी.एम.,**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **17.02.2022 समय 03:30 पी.एम.,**

4. सूचना की किस्म :– **कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश पूर्व बफासला करीब 20 कि.मी. दूर।**
(ब) पता :– **पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही,**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
1. **श्री सोमाराम पुत्र श्री ओकाजी, जाति भाट, उम्र 63 वर्ष, पैशा खेती, निवासी नांदिया, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही,**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
1. **श्री प्रकाशकुमार पुत्र श्री हंजारीमल, जाति माली, उम्र 43 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम खेजड़िया, पुलिस थाना शिवगंज, जिला सिरोही, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाडा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–...

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि 5000/–रू0,**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरोही।

विषयः– श्री प्रकाश माली एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने पर कानूनी कार्यवाही हेतु।

महोदयजी,

निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी सोमाराम पुत्र श्री ओकाजी, जाति भाट, निवासी नांदिया, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही की अरज हैं कि मेरे गांव नांदिया के ही श्री भीमाराम पुत्र श्री जैसाजी घांची वगेरा का शामलाती खेत पशु चराने के लिए किराये पर लिया हुआ हैं, उक्त शामलाती खेत में पांच हिस्सेदार हैं जिसमें से भीमाराम को छोडकर शेष चार हिस्से मेरे किराये पर लिये हुए हैं, भीमाराम का खेत नहीं लिया हुआ हैं, फिर भी भीमाराम मेरे से नाराजगी रखता हैं एंव आज से करीब दस दिन पूर्व भीमाराम ने मेरे विरूद्ध लूट की झूंठी रिपोर्ट पुलिस थाना में की थी, जिसकी जांच के लिए श्री प्रकाश माली एएसआई पुलिस थाना पिण्डवाडा मेरे गांव नांदिया मेरे पास आये व मुझे कहा कि खर्चा पानी लेकर पुलिस थाना आ जाना, नही तो अन्दर टिकवा दूंगा। मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं होने से मैं उसके पास नहीं गया, किन्तु कल से श्री प्रकाश माली एएसआई अपने मोबाईल नं. 9414533809 से मेरे मोबाईल नं. 7878978517 पर लगातार कॉल कर मुझे पैसे लेकर थाने बुला रहा हैं, किन्तु मेरे विरूद्ध रंजिशन झूंठा मुकदमा होने से मैं प्रकाश माली एएसआई को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। आज अभी कुछ देर पहले भी प्रकाश माली एएसआई ने मुझे उपरोक्त नंबरो से कॉल कर रिको चौकी पिण्डवाडा बुलाया हैं। मेरे चौकी जाते ही वो मेरे से रिश्वत की मांग करेगा, इसलिए मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व प्रकाश माली एएसआई के बिच कोई रंजिश नहीं है व नही कोई लेनदेन बकाया है रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक— 17/02/2022 प्रार्थी

एस.डी. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

—एस.डी.— प्रार्थी सोमाराम
सोमाराम S/O श्री ओकाजी,
जाति भाट, निवासी नांदिया, उम्र 63 वर्ष
थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही

एस.डी. गवाह श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक/
18.02.2022

एस.डी. गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक/
18.02.2022

कार्यवाही पुलिस

निवेदन हैं कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 वक्त 3:30 पी.एम. पर प्रार्थी श्री सोमाराम पुत्र श्री ओकाजी, जाति भाट, उम्र 63 वर्ष, पैशा खेती, निवासी नांदिया, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही, मोबाईल नंबर 7878978517 ने ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर मन् डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर, हाल अतिरिक्त चार्ज भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही के समक्ष मय अपने आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत की व पुलिस दरियाफ्त पर बताया कि श्री भीमाराम पुत्र श्री जैसाजी घांची, निवासी नांदिया के भाईयों का खेत पशु चराने हेतु मेरे द्वारा किराये पर लिया हुआ हैं, जिसका मैं उन्हें हिस्सेवाईज किराया देता हू, किराये पर लिये हुए उक्त शामलाती खेत में भीमाराम का भी हिस्सा हैं, किन्तु भीमाराम के हिस्से में मेरे पशु नहीं चराता हूं, उल्टा मेरे किराये पर लिये हुए खेत में भीमाराम अक्सर अपने पशु छोड़ देता हैं, इसलिए हमारे बीच एक–दो बार मामूली बहस हुई थी, जिसके बाद भीमाराम मेरे से रंजिश रखने लगा एंव दिनांक 07.02.20222 को भीमाराम ने पुलिस थाना पिण्डवाडा में मेरे विरूद्ध लूट की झूंठी रिपोर्ट पेश की, जिसकी जांच श्री प्रकाश माली ए.एस.आई. पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाडा द्वारा की जा रही हैं, इस जांच हेतु हफ्ता भर पूर्व श्री प्रकाश माली एएसआई पुलिस चौकी रिको, थाना पिण्डवाडा मेरे गांव नांदिया मेरे पास आये व मुझे कहा कि खर्चा–पानी लेकर चौकी में आ जाना, नही तो अन्दर टिकवा दूंगा। मैंने बेगुनाह होने का हवाला दिया किन्तु वो नहीं माने, साथ ही भीमाराम की रिपोर्ट झूंठी होने के बारे में उसके परिवार की ही श्रीमति सूजीदेवी पत्नि श्री चौपाराम घांची ने मेरे पक्ष में एंव भीमाराम के विरूद्ध एक ओर रिपोर्ट पेश की, जिसकी जांच भी श्री प्रकाश माली